राजकीय महाविद्यालय बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.13 से 31.3.16

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

(क) गत अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2000 से 31.3.2003

क्र0सं0	पैरा नं0	विवरण
1	6	अनिर्णीत
2	8	अनिर्णीत

(ख) गत अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.03 से 31.3.08

क्र0सं0	पैरा नं0	विवरण
1	5	अनिर्णीत
2	6	अनिर्णीत
3	7	अनिर्णीत
4	11	अनिर्णीत
5	13	अनिर्णीत

(ग) गत अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.08 से 31.3.13

क्र0सं0	पैरा नं0		विवरण
1	4	निर्णीत	(प्राचार्य द्वारा दिए उत्तर की जाँच के बाद)
2	6	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	7	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	8	निर्णीत	(–यथोपरि–)
5	9	निर्णीत	(–यथोपरि–)
6	10	अनिर्णीत	
7	11	अनिर्णीत	
8	12	निर्णीत	(जाँच के बाद)
9	13	अनिर्णीत	
10	14	अनिर्णीत	
11	15	निर्णीत	(जाँच के बाद)

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय, बंजार जिला कुल्लू के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2013 से 3/2016 का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 6.2.17 से 4.3.17 के दौरान बंजार में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 11/13, 11/14 व 6/15 तथा व्यय की जाँच हेतु माह 12/13, 12/14 व 9/15 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माहों तक ही सीमित है।

राजकीय महाविद्यालय बंजार, जिला कुल्लू में अवधि 4/13 से 3/16 के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य महाविद्यालय में कार्यरत्त रहेः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	डा0 अजय शर्मा	1.4.13 से 31.3.15
2	श्री तेज सिंह वर्मा (कार्यवाहक)	1.4.15 से 31.3.16

3 अंकेक्षण शुल्कः–

राजकीय महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन वार्षिक आय के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	कुल आय	अंकेक्षण शुल्क
2013–14	1041933	8000
2014–15	1331248	8000
2015–16	1693701	8000
	कुल	**₹24000**

प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय बंजार, जिला कुल्लू को अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-18 दिनांक 28.2.17 द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹24000

को बैंक ड्राफ्ट संख्या 615911, दिनांक 6.3.2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित किया गया है।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(i) राजकीय महाविद्यालय के लेखों अवधि 4/13 से 3/16 की विभिन्न छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत ब्यौरा संलग्न **परिशिष्ट "क" से "ख"** में दिया गया है।

(ii) सावधि निवेशः– महाविद्यालय के लेखों अवधि 4/13 से 3/16 के दौरान कोई भी दीर्धकालीन सावधि निवेश नहीं किया गया।

5 **छात्र निधियों से प्राप्त आय को रोकड़ बहियों व बैंक खातों में देरी से जमा करनाः–**

राजकीय महाविद्यालय बंजार की छात्र निधियों से प्राप्त आय की जाँच रसीद बुकों व शुल्क तथा निधि संग्रहण रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आय को नियमानुसार प्राप्ती वाले दिन अथवा ऐसा सम्भव न होने की अवस्था में आगामी कार्य दिवस में रोकड़ बही में दर्ज व बैंक में जमा नहीं करवाया गया, जैसे कि महाविद्यालय के अभिलेख पर आधारित निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता है। ऐसी अवस्थाओं में निधियों से प्राप्त राशियों की चोरी के जोखिम की सम्भावना बनी रहती है। अतः प्राप्त राशियों को नियमानुसार बैंक में निर्धारित समय में जमा न करवाने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए भविष्य में प्राप्त राशियों को नियमानुसार बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। विलम्ब से बैंक में जमा करवाई गई राशियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	निधियों को प्राप्त करने की अवधि	प्राप्त कुल आय	रोकड़ बही में दर्ज करने की दिनांक	बैंक में राशि जमा करने की दिनांक
1	13.11.13 से 20.11.13	12150	27.11.13	27.11.13
2	21.11.14 से 30.11.14	33555	9.12.14	9.12.14
3	29.6.15 से 30.6.15	36375	15.7.15	15.7.15

6 **शैक्षणिक भ्रमण, वार्षिक समारोह व म्युचुअल बैनीफिट निधियों की ₹0.10 लाख की अनाधिकृत वसूलीः–**

छात्र निधि लेखों अवधि 4/13 से 3/16 के अभिलेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2013–14 व 2014–15 में शैक्षणिक भ्रमण, वार्षिक समारोह व म्युचुअल बैनीफिट निधि की ₹2 व ₹3 प्रति छात्र वसूली की गई जोकि अनियमित ही नहीं अपितु अनुचित भी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 2008–13 के पैरा संख्या 6 व 7 में भी

इस प्रकार की निधियों की वसूली न करने हेतु परामर्श दिया गया था, परन्तु फिर भी वर्ष 2013–14 व 2014–15 में इन निधियों की वसूली की गई। अतः भविष्य में नियमानुसार ही निधियों की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

वर्ष	शैक्षणिक भ्रमण के लिए वसूल की गई राशि	वार्षिक समारोह के लिए वसूल की गई राशि	म्युचुअल बैनीफिट के लिए वसूल की गई राशि	कुल राशि
2013–14	1534	2301	1534	5369
2014–15	1708	2562	–	4270
				₹9639

7 मिश्रित निधि से ₹1.14 लाख का अनियमित भुगतानः–

महाविद्यालय के मिश्रित निधि लेखों अवधि 4/13 से 3/16 के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से महाविद्यालय के विभिन्न व्यय हेतु ₹114179 (विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ग"** में संलग्न) का भुगतान ऋण के तौर पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु किया गया जोकि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं था। अतः उपरोक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से भरपाई करके राशि को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यय को मिश्रित निधि से न किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

8 मिश्रित निधि से रूसा खाते को ₹0.75 लाख का ऋण देने बारेः–

मिश्रित निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या 111, दिनांक 24.9.15 को ₹74630 ऋण के रूप में रूसा खाते में हस्तांतरित किए गए दर्शाए गए है, परन्तु उक्त राशि को दिनांक 31.3.16 तक मिश्रित निधि में वापिस जमा नहीं करवाया गया है। अतः उपरोक्त राशि को रूसा खाते में हस्तांतरित करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए ऋण की राशि को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके मिश्रित निधि में जमा करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 खेलकूद निधि से प्राध्यापकों को यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारेः–

खेलकूद निधि की रोकड़ बही व व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान किए गए व्ययों से महाविद्यालय के प्राध्यापकों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान किया गया है। अतः खेलकूद निधि से प्राध्यापकों को किए गए निम्न यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान का उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा

₹5678 की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए खेलकूद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित कर अनुपालना अंकेक्षण को दर्शाई जाए।

Sr.No.	Cash Book Page No./Date	Name of the team Incharge	Amount of temporary Advance	Amount of T.A. bill
1	41/14.12.13	Sh. Dinesh Singh	10000	1150
2	52/7.9.15	Sh. Dinesh Singh	12000	1232
3	53/16.9.15	Sh. Dinesh Singh	15000	1406
4	53/16.9.15	Sh. Pushpender Singh	15000	1088
5	53/24.9.15	Sh.Arun Kumar	16000	802
			Total	**₹5678**

10 यात्रा भत्ता बिल में ₹58 का अधिक भुगतानः–

खेलकूद निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 41, दिनांक 14.12.13 को ईंटर कालेज बास्केट बॉल प्रतियोगिता के लिए दिए गए अग्रिम ₹10000 के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि प्रो0 दिनेश सिंह को बंजार से घुमारवीं जाने व आने के यात्रा भत्ता बिल ₹1092 के स्थान पर ₹1150 का भुगतान किया गया, जोकि नियमानुसार ₹58 अधिक है। अतः यात्रा भत्ता बिल में अधिक भुगतान की ₹58 की वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 मिश्रित निधि से कार्यालय प्रयोग हेतु ₹750 का अनुचित व्ययः–

मिश्रित निधि की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 83 दिनांक 2.1.15 को M/S Computer Point बंजार से बिल संख्या 468 दिनांक 30.12.14 को कार्यालय प्रयोग हेतु Cartridge की खरीद पर ₹750 का व्यय किया गया जोकि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 मिश्रित निधि से भौतिक विज्ञान लैब के लिए ₹6825 का अनुचित व्ययः–

मिश्रित निधि की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 65, माह 12/2013 को भौतिक विज्ञान की लैब हेतु मै0 आनन्द एंटर प्राईजिज कुल्लू से बिल संख्या 3680 दिनांक 14.11.13 को एक स्टील अलमारी ₹6825 में क्रय की गई, जबकि उक्त व्यय विज्ञान निधि से किया जाना अपेक्षित था। अतः व्यय की प्रतिपूर्ति विज्ञान निधि से करके ₹6825 को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 प्रत्यक्ष सत्यापना करवाए बिना खेलकूद स्टॉक रजिस्टर से मदों को खारिज करने बारेः—

खेलकूद स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि क्रय की गई विभिन्न खेलकूद की मदों को महाविद्यालय द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापना समिति से सत्यापित करवाए बिना निम्न मदों को स्टॉक रजिस्टर से खारिज कर दिया गया, जबकि नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापना समिति से स्टॉक को सत्यापित करवाकर ही स्टॉक से मदों को खारिज किया जाना अपेक्षित था। अतः निम्न मदों को बिना प्रत्यक्ष सत्यापना के स्टॉक रजिस्टर से खारिज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्र0सं0	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	वस्तु का नाम	खारिज वस्तु की सं0
1	61	Chess	4
2	68	Shuttle Boxes	20
3	72	Boxing Glover	2
4	85	Knee Cap	12
5	92	Badminton Rackets	8

14 क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करने बारेः—

महाविद्यालय द्वारा निम्नविवरणानुसार क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं की गई है जबकि नियमानुसार खरीदी गई प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टि तथा खपत का विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही त्वरित रूप से करते हुए अपेक्षित प्रविष्टियों को आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में यह कार्यवाही तदानुसार ही सामान के क्रय एवं निर्गम/खपत के समय की जानी सुनिश्चित की जाए।

Sr.No.	Description of Fund	Bill No. & Date	Description of Firm	Item	Amt.
1	Library Fund	291/31.11.14	M/S Sharma Book Depot, Banjar	Competition Books	5020
2	Science Fund	5278/8.12.14	M/S Ravi Book Depot, Banjar	Reem	220
3	Computer Internet Fund	159/29.11.14	M/S Infosoft Solutions, Kullu	Tonner	1450
4	Sport Fund	426/Nil	M/S Arya sports world. Una	Shutle Boxes	2940

15 **अवकाश के दिनों में विभिन्न समाचार पत्रों की खरीद बारेः–**

अंकेक्षण अवधि की पुस्तकालय निधि की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार महाविद्यालय द्वारा सर्दियों के अवकाश के दौरान भी पाँच समाचार पत्रों का निरन्तर क्रय किया गया। अवकाश के दौरान महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति न होने के कारण छात्र निधि से समाचार पत्रों की खरीद अनुचित प्रतीत होती है। अतः अवकाश के माह में समाचार पत्रों की खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Cash Book Page No.	Date/Month	Bill No.	Amt.
1	71	1/2015	597/1/2015	597
2	75	1/2016	1068/1/2016	620

16 **रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज न करनाः–**

महाविद्यालय के रसीद बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में निधियों को प्राप्त करने के लिए रसीद बुकों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज तो किया जा रहा है, परन्तु रसीद बुकों की क्रम संख्या का विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता और न ही यह दर्शाया गया कि कौन सी रसीद बुक किस सत्र में प्रयोग हेतु जारी की गई। ऐसी अवस्थाओं में रसीद बुकों के दुरूपयोग की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः भविष्य में रसीद बुकों की क्रय प्रविष्टियाँ रसीद बुकों में दर्ज क्रम संख्या के साथ दर्ज किया जाए तथा प्रयोग हेतु जारी करते समय रसीद बुक की क्रम संख्या व दिनांक को दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तथा प्रत्येक प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

17 **क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियाँ अनुचित रूप से करनाः–**

महाविद्यालय द्वारा निधियों से खरीदी गई वस्तुओं को उपयोग्य एवं अनुपयोग्य रजिस्टरों में अलग–2 खाते तैयार करके दर्ज नहीं किया गया बल्कि एक ही पन्ने पर विभिन्न वस्तुओं की स्टॉक प्रविष्टियाँ की गई जोकि विहित प्रक्रियानुसार अनुचित है। अतः भविष्य में प्रत्येक मद का पृथक–पृथक खाता पृथक–पृथक पन्नों पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह सुगमता से ज्ञात हो सके कि महाविद्यालय के पास अमुक तिथि को अमुक वस्तु की कितनी प्रमात्रा शेष थी/है।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः—** महाविद्यालय के लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी xi (iii) 101 / 93 खण्ड—1—3116—3117,दिनांक, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला—171001
2. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बन्जार, जिला कुल्लू हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
0177—2620046